न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

26 / 2023

श्री आशाराम निवासी चॉदसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक —अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **14.08.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

निम्न बिंदुओ पर विस्तृत सूचना प्रदान करे।

1 खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन को न्यूनतम कितने दिनों में स्वीकार किया जाता है

2 कौन कौन सी श्रेणी के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा हेतु अपील आवेदन कर सकते है।

3 निम्नलिखित आवेदन संख्या को अभी तक क्यों अप्रूव नही किया गया है।

4 लिखित आवेदन संख्या 220463518355 NAME SITA GURJAR को जांच कर कब तक स्वीकार किया जा सकता है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 621 दिनांक 11.07.2023 व 726 दिनांक 28.07.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक /आर.टी.आई./2023/449—50 दिनांक 03.08.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक 448 दिनांक 03.08.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक